न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा जिला अलवर(राज0)

पीठासीन अधिकारी :–नवज्योति कंवरिया (आर.ए.एस.)

दावा संख्या	दायर दिनांक	प्रारम्भिक निर्णय
1/32	18.03.2024	24.02.2025

बउनवान

01. खिल्लू पुत्र श्री हरिराम जाति चमार निवासी ग्राम दादर तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज०

वादी

बनाम

1. शकुन्तला उर्फ मुकेशी पत्नी विश्राम जाति बैरवा निवासी ऊकरूंद तहसील महुआ मुण्डावर जिला दौसा (राज0)
2. अमरीकसिंह पुत्र श्री कर्मसिंह जाति मजहबी निवासी भण्डवाडा तहसील व जिला अलवर (राज0)

प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक व हुक्मइम्तनाई दवामी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णयः–

वादी ने दावा इश्तकरारहक हुक्मइम्तनाई दवामी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 1240 रकबा 3 बीघा ग्राम दादर तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर जो आराजी मु. शरबती की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। शरबती ने इस आराजी खसरा नम्बर साबिक 605/13 रकबा 3 बीघा वाके ग्राम दादर तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर का बेचान कमलेश पुत्र हरीराम के हक में मुबलिग 1,20,000/– रुपये में किया। बेचान के संबंध में बयनामा मु. शरबती ने कमलेश के हक में दिनांक 05.06.1995 को तहरीर व तकमील कराया। कब्जा आराजी पर कमलेश पुत्र हरीराम को संभलवा दिया गया। प्रतिवादी सं0 1 शकुन्तला कमलेश की विवाहिता पत्नी थी लेकिन शकुन्तला ने कमलेश के विवाह के कुछ दिन बाद ही परित्याग कर दिया था। शकुन्तला कमलेश को छोड़कर विश्राम बैरवा निवासी ऊकरूंद जिला दौसा के साथ विवाह करके बतौर पत्नी रहने लग गई थी। विश्राम को पत्नी के रूप में प्रारम्भ में शकुन्तला गैरकानूनी ढंग से रही तो शकुन्तला ने अपना नाम बदलकर मुकेशी बैरवा लिखवा दिया। कमलेश के देहावसान से करीब 3 वर्ष पूर्व से शकुन्तला विश्राम के साथ बतौर पत्नी रहने लग गई थी। इस कारण कमलेश वादी के साथ ही रहता था। शकुन्तला को कमलेश के प्रति क्रूरतम दुर्व्यवहार के कारण कमलेश शकुन्तला से नफरत करने लग गया व अपनी पत्नी को अपनी जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं देना चाहता था। कमलेश का स्वास्थ्य भी खराब रहने लग गया था। कमलेश की सेवा टहल व दवा खाने पीने रहने सभी का ध्यान वादी खिल्लू ही करता था। वादी खिल्लू कमलेश का भाई है। कमलेश वादी के परिवार के साथ ही रहता था। अन्तिम समय तक वही रहा है उसका दाह संस्कार भी वादी ने किया। शकुन्तला तो उसके देहावसान की खबर होने के बाद अफसोस जाहिर करने नहीं आई। वादी की सेवा टहल से प्रसन्न होकर कमलेश ने आराजी खसरा नम्बर 1240 रकबा 3 बीघा व रिहायशी मकान वाके ग्राम दादर तहसील मालाखेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०

जिला अलवर की वसीयत वादी के हक में दिनांक 08.01.2007 को तहरीर करा दी जिस पर कमलेश ने स्वयं अपने हस्ताक्षर किये व गाँव के मौजिज व्यक्तियों के हस्ताक्षर/अंगूठे बतौर गवाह कराये गये। वसीयत में भी कमलेश ने स्पष्ट रूप से दर्ज किया कि ''मैं बीमार रहता हूँ व मेरी पत्नी से मेरी अनबन चल रही है, मेरी देखभाल, दवा, खाने पीने की व्यवस्था मेरा बड़ा भाई खिल्लू करता है इसी की सेवा से प्रसन्न होकर मैं अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति एवं काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1240 रकबा 3 बीघा वाके ग्राम दादर की वसीयत अपने भाई खिल्लू के हक में करता हूँ।'' इस प्रकार कमलेश ने आराजी मुतनाजा व कुल चल व अचल सम्पत्ति की वसीयत वादी के हक में कर दी। कमलेश का देहावसान दिनांक 14.06.2007 को हो चुका है। कमलेश के देहावसान के साथ ही कमलेश द्वारा की गई वसीयत प्रभावी हो चुकी है तथा वादी आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 1240 रकबा 3 बीघा वाके ग्राम दादर का खातेदार काश्तकार हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 1 के मन में बदयान्ति आ गई। कमलेश के देहावसान के बाद शकुन्तला ने विरासत का इन्तकाल फर्जकारी करके स्वयं के नाम चढ़वा लिया। उसके बाद हमने सहायक कलक्टर के दावा किया शकुन्तला का इन्तकाल निरस्त करवा दिया। विवादित आराजी में प्रतिवादी सं0 1 का कोई हक व हिसा नहीं होने के बावजूद प्रतिवादी सं0 1 ने आराजी खसरा नं0 1240 रकबा 0.73 हैक्टर वाके ग्राम दादर तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर का बैयनामा प्रतिवादी सं0 2 के हक में बिना जरे बदल व बिना कब्जा दिये करा दिया जो बैयनामा प्रतिवादी सं0 1 ने प्रतिवादी सं0 2 के हक में उप पंजीयक मालाखेड़ा तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर के दिनांक 08.01.2016 को पुस्तक सं0 1, जिल्द सं0 276, पृष्ठ सं0 189, क्र0सं0 52 पर पंजीबद्ध कराया। प्रतिवादी सं0 1 को बैयनामा कराने व विवादित आराजी को विक्रय करने का कोई हक व अधिकार नहीं था। प्रतिवादी सं0 1 विवादित आराजी की खातेदार काश्तकार नहीं है। विवादित आराजी वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। कमलेश द्वारा की गई वसीयत के आधार पर वादी विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार है। लिहाजा प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रतिवादी सं0 2 के हक में किया गया बेचान बातिल व बेअसर करार दिया जाने योग्य है। प्रतिवादी सं0 1 ने फर्जकारी करके विवादित आराजी का बैयनामा प्रतिवादी सं0 2 के हक में तहरीर व तकमील कराया है। बैयनामा कराने के लिए प्रतिवादी सं0 1 ने फर्जी पहचान पत्र काम में लिया। प्रतिवादी सं0 1 ने बैयनामे में दर्ज कराया कि मेरे पति का नाम तोताराम है जबकि शकुन्तला के दूसरे पति का नाम तोताराम नहीं है क्योंकि शकुन्तला ने पूर्व पति कमलेश के जीवनकाल में ही विश्राम बैरवा निवासी ऊकरूंद जिला दौसा के साथ कुछ समय नाम बदल कर नाजायज तरीके से रही बाद में पूर्व पति कमलेश के जीवनकाल में ही अपना नाम बदलकर मुकेशी दर्ज करा लिया व विश्राम से विवाह करके ग्राम ऊकरूंद में विश्राम के साथ बतौर पत्नी रहने लग गई थी। कमलेश मरा तो अफसोस जाहिर करने तक नहीं आई थी। अब फर्जी पति का नाम दर्ज कराकर यानि तोताराम पति का नाम दर्ज कराकर फर्जी बैयनामा बनाया है जो वादी के हकूकों के खिलाफ बातिल व बेअसर करार दिया जाने योग्य है। कमलेश पूर्व पति के जीवनकाल से ही प्रतिवादी सं0 1 का पहचान पत्र मुकेशी पत्नी विश्राम के नाम से बना हुआ है। सभी दस्तावेज में मुकेशी पत्नी विश्राम दर्ज है। फर्जकारी करके वादी की जमीन हड़पने व बेचान करने के लिए स्वयं का नाम शकुन्तला पत्नी तोताराम दर्ज कराया है जबकि इस नाम का पति शकुन्तला का कभी नहीं रहा न अब है। प्रतिवादी सं0 1 के हक में दर्ज किया गया इन्तकाल सं0 532 दिनांक 15.06.2015 को निरस्त किया जा चुका था जिसकी बखूबी जानकारी प्रतिवादी सं0 1 व 2 दोनों को थी। उसके बावजूद भी प्रतिवादी सं0 1 ने बैयनामा दिनांक 08.01.2016 को पुस्तक सं0 1, जिल्द सं0 276, पृष्ठ सं0 189, क्र0 सं0 52 उप पंजीयक मालाखेड़ा के पंजीबद्ध कराया गया जिसमें सरासर फर्जकारी की है। प्रतिवादी सं0 1 के हक में चढ़ा इन्तकाल निरस्त होने के बावजूद स्वयं को खातेदार बताकर बयनामा कराया है जो बिना अधिकार बेचान होने के कारण निरस्त किया जाने योग्य है। बयनामे की जानकारी वादी को होने पर वादी ने प्रतिवादीगण से बैयनामा निरस्त कराने के लिए कई बार मिन्नत की तथा प्रतिवादीगण को बताया कि शकुन्तला का इंतकाल निरस्त हो चुका है शकुन्तला ने अपने पति का नाम भी गलत दर्ज कराया है आप बयनामा निरस्त करा दे तो प्रतिवादीगण टालबाल करते रहे तथा दिनांक 05.11.2016 के बयनामा निरस्त कराने से साफ इंकार कर दिया। जो तारीख दावा हाजा के लिए विनायमुखास्मत है।

अतः डिक्री इश्तकरार हक बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर फरमाई जावे कि वादी आराजी खसरा नम्बर 1240 रकबा 0.73 हैक्टेयर वाके ग्राम दादर तहसील मालाखेडा का खातेदार काश्तकार है तथा कागजात माल में वादी को बतौर खातेदार दर्ज किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के हक में दिनांक–8.01.2016 को कराये गये बयनामे को वादी

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०

के हकूको के खिलाफ बातिल व बेअसर करार दिया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो आराजी खसरा नम्बर 1240 रकबा 0.73 हैक्टेयर वाके ग्राम दादर मे वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत न करें। वादी को जबरन बेदखल नही करें।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण बावजूद रजिस्टर्ड तलबी हाजिर अदालत न होने पर प्रतिवादीगण के विरूध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

पत्रावली में वादी के साक्ष्य लिये गयें। साक्ष्यवादी में वादी के द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज पेश किये गये:—

(1) Ex-1 पंजीकृत बयनामा दिनांक—08.01.2016 प्रमाणित प्रतिलिपि।
(2) Ex-2 जमाबंदी सम्वत् 2069—72
(3) Ex-3 न्यायालय तहसीलदार, मालाखेडा निर्णय दिनांक—27.03.2023 बउनवान खिल्लूराम बनाम शकुंतला प्रमाणित प्रतिलिपि।

वकील वादी द्वारा लिखित बहस पेश की गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। वकील वादी की लिखित बहस पर मनन किया। न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा के निर्णय दिनांक—27.03.2023 बउनवान खिल्लूराम बनाम शकुंतला में धारा 135(2) राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाकर वसीयतनामा दस्तावेज दिनांक—08.01.2007 के आधार पर आराजी खसरा संख्या 1240 रकबा 0.73 हैक्टेयर वाके ग्राम दादर तहसील मालाखेडा वादी खिल्लूराम पुत्र हरीराम जाति जाटव के पक्ष में जमाबंदी सम्वत् 2069—2075 खाता संख्या 476 में खातेदारी दर्ज की जा चुकी है। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा दिनांक—08.01.2016 को आराजी खसरा संख्या 1240 रकबा 0.73 हैक्टेयर का पंजीकृत बयनामा प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष में किया जा चुका है। चूंकि वर्तमान में उक्त आराजी वादी खिल्लूराम पुत्र हरीराम की खातेदारी में न्यायालय तहसीलदार आदेश की पालना में दिनांक—01.05.2023 को दर्ज कर दी गयी है।

अतः प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा दिनांक—08.01.2016 को प्रतिवादी संख्या—02 के पक्ष में किया गया बयनामा शून्य हो चुका है। वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा, प्रतिवादी संख्या 02 के हक में दिनांक—08.01.2016 को उप पंजीयक मालाखेडा के पुस्तक सख्या 01, जिल्द संख्या 276, पृष्ठ संख्या 189, क्रम संख्या 52 में दर्ज बयनामा को वादी के हकूको के खिलाफ बातिल व बेअसर घोषित किया जाता है, तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वादी की खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 1240 के कब्जे काश्त में मजामहत पैदा न करें, व वादी को जबरन बेदखल ना करें।

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०

निर्णय आज दिनाक 24.02.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०